सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 70 / 2022 — दायर दिनाँक 16.02.2022

वादीया

1. भंवरलाल पुत्र पूसाराम जाति मेघवंशी निवासी मगरासी तहसील दांतारामगढ़ जिला–सीकर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसील डीडवाना
2. मूली देवी पत्नि पूसाराम
3. रामेश्वर पुत्र गोविन्दा समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण मगरासी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।

दिनाँक 30.06.2022

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी के खेत खंसरा सं0 538 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 चाह, खसरा सं0 539 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 540 रकबा 2.8300 हैक्टे0 वाकै सरहद खानड़ी तहसील डीडवाना में आया हुआ है, जो वादी की संयुक्त खातेदारी व हक अधिकार व कब्जे काश्त में है।

यह है कि वादी का नाम जरिये नामान्तकरण के उपरोक्त खसरा सं0 की भूमि में भूल वश वादी का नाम भंवराराम पुत्र पूसाराम गलत अंकित कर दिया गया है, तथा वादी के सभी निर्वाचन परिचय–पत्र, जन आधार, बैंक एकाउन्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड व पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में नाम भंवरलाल पुत्र पुसा राम दर्ज है जबकि वादी के उपरोक्त खसरा सं0 538 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 चाह, खसरा सं0 539 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 540 रकबा 2.8300 हैक्टे0 वाकै सरहद खानड़ी में भंवराराम पुत्र पूसाराम अंकित हो गया।

यह है कि वादी का नाम खतौनी में उसके हक अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि में गलत नाम भंवराराम पुत्र पुसाराम होने के कारण अत्यधिक असुविधा व परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। वादी के उपरोक्त खेत खसरा सं0 538 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 चाह, खसरा सं0 539 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 540 रकबा 2.8300 हैक्टे0 की भूमि में अपना नाम भंवराराम पुत्र पूसाराम के स्थान पर भंवर लाल पुत्र पुसा राम दर्ज करवा कर राजस्व रेकर्ड को शुद्ध करवाना चाहता है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि वाद वादी डिक्री किया जावें तथा खेत खसरा सं0 538 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0 मु0 चाह, खसरा सं0 539 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 540 रकबा 2.83[illegible] भंवराराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर भंवर लाल पुत्र पुसा राम [illegible] जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अम[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:38 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद द[illegible] वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। वाद में उप[illegible] वर्णित खसरान् में उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट [illegible] आधार पर वादी का नाम भंवराराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर भंवर लाल पुत्र पुसा राम किया जाना उचित प्रतित होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद खानड़ी के खसरा 538, 539, 540 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादी का नाम भंवराराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर भंवर लाल पुत्र पुसा राम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **30.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 70/2022 दायर दिनाँक 22.04.2022

वादीया		**प्रतिवादी**
1. भंवरलाल पुत्र पूसाराम जाति मेघवंशी निवासी मगरासी तहसील दांतारामगढ़ जिला–सीकर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसील डीडवाना 2. मूली देवी पत्नि पूसाराम 3. रामेश्वर पुत्र गोविन्दा समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण मगरासी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 30.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद खानड़ी के खसरा 538, 539, 540 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादी का नाम भंवराराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर भंवर लाल पुत्र पुसा राम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner